जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना **मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स**, रेफरेन्स नं. 2023100000100580, खसरा नं. 821/49 एवं 656/45, गांव–तंवरा, तहसील–लाडनूं, जिला–डीडवाना–कुचामन (राजस्थान) क्षेत्रफल 1.0561 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता –308916 टीपीए (रोम) {बिक्री योग्य खनिज–215654.4 टीपीए, मुर्रम- 65,370 टीपीए और अपशिष्ट- 30,891.6 टीपीए}, जो कि चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना {क्लस्टर क्षेत्रफल 6.0194 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 8,24,156 टीपीए (रोम)} में स्थित है में चेजा पत्थर एवं मुर्रम की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (मु.) डीडवाना–कुचामन की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत-- तंवरा, तहसील– लाडनूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राजस्थान) में दिनांक 19.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल
1.	मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स	रेफ. नं.: 2023100001400580	1.0561
2.	मैसर्स बालाजी स्टोन सप्लायर्स	एम.एल.नं.: 35/2014	1
3.	मैसर्स बालाजी स्टोन स्पलायर्स	एम.एल.नं.: 248/2009	1
4.	श्री मोहित शर्मा	एम.एल.नं.: 13/2020	1.0596
5.	मैसर्स ढ़ाका माईनिंग एण्ड सप्लायर्स	एम.एल.नं.: 59/2019	1.9037

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 06.02.2025 को समाचार पत्र ' द इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक नवज्योति' में प्रकाशित क़रवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स तिरुपति स्टोन सप्लायर्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना में खनिज– चेजा पत्थर एवं मुर्रम का खनन प्रस्तावित है, जिसका रेफरेन्स नं. 2023100000100580, खसरा नं. 821/49 एवं 656/45, कुल खनन क्षेत्रफल 1.0561 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता – 3,08,916 टीपीए (रोम) {विक्री योग्य खनिज- 2,15,654.4 टीपीए, मुर्रम- 65,370 टीपीए और अपशिष्ट- 30,891.6 टीपीए Khasra No. 821/49 & 656/45 गांव–तंवरा, तहसील–लाडनुं, जिला–डीडवाना–कुचामन (राजस्थान), चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना {क्लस्टर क्षेत्रफल 6.0194 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 8,24,156 टीपीए (रोम) } होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल वहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आंमत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री मेघराज तंवर ग्राम तंवरा ने कहा कि किसी व्यक्तिगत या द्वेषपूर्ण शिकायत नहीं कर रहे हैं हम कलस्टर के माईस के मालिक को नहीं जानते। ग्राम तंवरा का

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

पॉल्यूशन स्तर बहुत खराब हैं। ब्लास्टिंग की आवाजें भी बहुत आती हैं। इनकी यूनिट्स बहुत चल रही है हमने बहुत शिकायते दी है परन्तु कोई गांव के पास जो खनन हो रहा है तो गौचर में हो रहा है। यहा इस कस्बा गुप्सा की पहले से माईन्स,क्रेशर चल रही हैं। यहा पर कोई पानी का छिड़काव नही होता तथा डम्परो की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। हम पिछले 6 माह से प्रत्येक ऑफिस में गए परंतु कही कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि इस कलस्टर में सुधार होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है यहां पिछले 30 सालों से माइनिंग हो रही है। परंतु सत्यनारायण प्रजापत के अलावा किसी न भी एक पौधा नहीं लगाया। खनन विभाग नागौर को बार-बार शिकायतें देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे जगह-जगह खनन किया जा रहा है। एवं लेबर्स को भी कोई मूलभूत सुविधाएं जैसे मेडिकल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले 3 लडके गैस ब्लास्ट से मर गए एवं खानों में भी लेबर्स गिरने पर समझौता करतें। कोई लेबर सेफ्टी भी नहीं है। कलस्टर अच्छा चलना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम, लेबर्स सैफ्टी, मेडिकल एवं सुविधाएं हो तो कोई आपत्ति नहीं है। यहां का तालाब खोद खोद कर खत्म कर दिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त खनन परियोजना के बारे में पर्यावरणीय सुझाव आपत्ति के लिए पूछा गया जिसके प्रत्युतर में श्री मेघराज तंवर ने कहा कि जो माईनिंग हो ही नही उसके बारे में क्या कहे, हम तो पूर्व में चल रही माईन्स की हालात बता रहे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि इस कलस्टर में इन में सभी प्रस्ताव रखे गये है कि सैफ्टी, पर्यावरण, पौधारोपण। तो पूर्व की माईसो की भी जनसुनवाई हुई होगी उनकी भी यही शर्तें होगी, तो उन सब की पालना नही हो रही है जिसके लिए **श्री मेघराज तंवर** ने सहमति दी ।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि ये प्रस्ताव इनके लिखित क्षेत्र का है अवैध खनन अलग विषय है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरण सलाहकार महोदय को संबोधित करते हुए कहा कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कुछ टेक्निकली विषय है आम ग्रामवासी नहीं समझ सकते अतः आप प्रस्ताव को थोडा सिम्पल रखें ?

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों से निवेदन किया गया कि अपने सुझाव आपत्ति प्रस्तुत करें।

सर्वेश कस्वा, निवासी तंवरा लीज पार्टनर ने कहा कि ये लीज हमारी प्रथम लीज है, एवं स्वयं NIT कुरुक्षेत्र से Civil Engn. हूं एवं Environment से M.E की है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि पर्यावरण के लेकर जो भी आरोप लगाये जा रहे है सभी का ध्यान रखेंगे जिसकी पूर्व तैयारी की गई है। पौधारोपण, प्रदुषण मेसर्स, मॉनिटरिंग सेंसर जैसे अन्य सभी दायित्व पूरे किये जायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत पत्र को मौखिक प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया। जिसे श्री मेघराज तंवर, निवासी तंवरा ने इसे निम्नानुसार बताया कि–

ग्राम पंचायत तंवरा में पिछले 35 वर्षों से खनन कार्य अनवरत जारी है जिसके कारण ग्राम पंचायत तंवरा के पर्यावरण व वातावरण में अत्यधिक बदलाव आ गया है और पर्यावरण बहुत प्रदूषित रहने लगा है तंवरा के चारों तरफ क्रेशर व खनन कार्य संचालित होने के कारण हवा में पुरे दिन डस्ट उडती रहती है, जिससे पंचायत में हवा में डस्ट उडती रहती है परिणामस्वरूप ग्राम में सिल्कोसिस टीबी, अस्थमा, एलर्जी व श्वास सम्बंधित कई तरह की बीमारियां होने लगी है अब ग्रामवासियों का दूषित हवा के कारण जीना मुश्किल हो रखा है।

मेसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स के मालिक अरूण कस्वां के स्वयं व परिवार के ग्राम पंचायत तंवरा में पहले से 4 मेसेनरी स्टोन की खाने M.L. No. 35/2014,248/2009,20/2022,208/2009 व दो स्टोन क्रेशर मेसर्स कस्वां स्टोन क्रेशर खसरा नंबर 876/868, श्री बालाजी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज खसरा नंबर845/39,846/39 संचालित है जहां पर CTO,CTE E.C. के सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है कृपया इनको नई EC,CTO CTE जारी किया गया था उन नियमों की शत प्रतिशत पालना हो रही है या नहीं इसकी जांच करके जन सुनवाई वाले दिन या उस से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय व ग्रामवासियों के सामने अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये, अन्यथा इनके EC के प्रस्ताव को नामंजूर किया जाये।

उपरोक्त इकाईयों में न तो 33 प्रतिशत एरिया में ग्रीन बेल्ट विकसित किया है जबकि इनको खनन करते हुए 10 वर्षों से अधिक हो गये है, और ना ही पेड लगाये हैं ना पक्की सडक बनाई हुई लेबर के लिए कोई प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है, ना रेस्ट रूम बनाये गये है, ना पीने के पानी उचित व्यवस्था है, ना सेफटी के लिए उपकरण दिए गये है, ना अपने खनिज पट्टे के बाहर सुचना पट्ट लगा रखा है, ना सीमांकन के लिए चारों तरफ पिल्लर बना रखें है, ना सुरक्षा के लिए उचित दिवार बना रखी है ना वाटर स्पार्कलिंग लगा रखा है, और ना विंड वाल बना रखी है, जब तक ये सभी निगम ने पूरे नहीं करते तब तक इनको नई EC जारी ना की जाए।

ग्राम पंचायत तंवरा में जो 6.019 हेक्टेयर का कलस्टर बनाया गया है उसके अंतग्रत आने वाली खनन लीजें ML No. 35/2014,248/2009,13/2020,59/2020 सभी EC व CTO के नियमों व शर्तों का उल्लंघन कर रहे है, इनको जिन नियमों के तहत EC व CTO जारी किये थे क्या ये सभी इन नियमों की शत प्रतिशत अनुपालना कर रहे है उसकी जांच कर जनसुनवाई वाले दिन या उससे पहले ग्राम पंचायत कार्यालय व ग्रामवासियों के

... अधिकारी
... नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये, अगर ये नियमों की शत प्रतिशत अनुपालना नहीं कर रहे है तो इनकी EC व CTO,CTE को रद्द कर इनकी लीज निरस्त की जाये।

उपरोक्त मसेनरी स्टोन की खनन लीजो व स्टोन क्रेशर में से किसी ने भी ऑनलाइन क्वालिटी मोनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा रखा है जबकि प्रत्येक की EC व CTO में 3 वायु गुणवता निगरानी प्रणाली यंत्र लगाने का नियम है, कई EC के नियमों का उल्लंघन है ML No. 35/2014,248/2009 में तो ग्राउंड बाटर तक आ चुका है फिर भी इनके द्वारा खनन कार्य अतवरत जारी है इनके पास CGWAकी परमिशन है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए कृपया सभी की जांच कर जनसुनवाई वाले दिन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ग्राम पंचायत तंवरा के ग्रामवासियों की तरफ से निवेदन है की जो भी विभाग EC व CTO,CTE जारी करते है वो अब ग्राम पंचायत तंवरा में नये EC व CTO,CTE जारी न करें क्यूंकि हमारे ग्राम पंचायत में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर इतना बढ चुका है कि आमजन का जीना मुश्किल हो गया है सरकार अपने राजस्व को बढाने के लिए स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रही है जो एक आम नागरिक के मालिकाना अधिकारों का हनन है, स्वस्थ हवा हर आम नागरिक का जीने के लिए जरूरी है जो अब ग्राम पंचायत तंवरा में दूषित हो चुकी है, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य व कृषि भूमि पर पड रहे बुरे असर को देखते हुए ग्राम पंचायत तंवरा में अब नई EC व CTO जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए।

क्या ये नियम कहीं लिखित में है कि पेड लगाने की जगह के वन विभाग से पैसे की पर्ची कटवा सकते है अगर है तो कहां है हमें दिखाए, क्योंकि प्रदूषण के कारण बीमारियां ग्राम पंचायत तंवरा में बढ रही है और दवाई कहीं और जगह के लोगों को दी जा रही है ये तर्कहीन तथ्य है और ग्राम पंचायत तंवरा के लोगों के साथ नाइंसाफी है।

त्हसीलदार लाडनूं वे अभी तक खनिज विभाग को वो पटवारी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी जिसमें गोचर में खनन होना पाया गया है, राजस्व विभाग ने खनिज विभाग से गोचर में खनन करने के वैध दस्तावेज मांगने के लिए अभी तक कोई पत्र क्यों नहीं लिखा।

सभी क्रेशर और खाने EC व CTO,CTE नियमों के अंतर्गत क्यों नहीं चल रही है, इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की जांच होनी चाहियें।

EC व CTO,CTE के नियमों का पालन ग्राम पंचायत तंवरा में हो रहा हे या नहीं इसका भौतिक सत्यापन आज दिनांक 19/03/2025 की सुनवाई वाले दिन ग्रामवासियों के सामने किया जाये ताकि सच्चाई सबके सामने आये, और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे है उनके EC व CTO,CTE प्रमाण पत्र निरस्त किये जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए आप सभी जनसुनवाई अधिकारीगण सनिष्पक्ष जांच करवाये और इस शिकायत में लिखे हुए सभी बिन्दुओ की बिन्दुवार जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ग्रामवासियों के सामने प्रस्तुत की जाये क्युकी क्षेत्रीय कार्यालय नागौर में पर्यावरण प्रदुषण की बार–बार शिकायत देने के बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स के E.C. के आवेदन को निरस्त कर हम ग्राम वासियों को पर्यावरण प्रदुषण से होने वाली बिमारियों से निजात दिलाएं और एक आम नागरिक के स्वस्थ हवा व पानी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। **(लिखित आपत्ति की प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, महोदय को प्रेषित की गई जो कि परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि ग्रामवासी तो पहले ही कह रहे है कि माईन्स लगाओ परन्तु कायदे–कानून की पालना होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र करवां निवासी लोड़सर ने कहा कि ग्रामवासियों की जो भी शिकायतें है, ब्लॉस्टिंग, पानी का छिड़काव आदि तो महोदय माईनिंग विभाग द्वारा बताये गये नियमों के तहत ही ब्लास्टिंग किया जाता है तथा नियमित रूप से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है, तथा क्रेशर को भी पर्यावरणीय सुरक्षा के तहत चारों तरफ से कवर किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने पुनः प्रस्तावित खनन इकाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुझाव/आपत्ति हेतु ग्रामीणों को आमंत्रित किया।

श्री मेघराज तंवर निवासी तंवरा ने कहा यदि क्लस्टर लगता है तो कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इसके द्वारा दिशा–निर्देशों की अनुपालना जरूर होनी चाहिए।

श्री सुरजीत धुंधवाल निवासी लोड़सर ने कहा जैसा की ग्रामीणों ने बताया ब्लॉस्टिंग तो ग्राम तंवरा में नियमानुसार ही ब्लास्टिंग की जाती है, दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य, अन्यथा फाईन लगता है। तथा दिन में 2 बार सुबह एवं शाम को नियमित पानी का छिडकाव भी किया जाता है। यहां लेबर 100 में से 95 तंवरा गांव से ही है। साल में 2 बार मेड़िकल कैम्प भी लगाये जाते है, लेटेस्ट कैम्प नवदीप मेडिकल स्टोर पर लगाया था, जिसकी रिपोर्ट देख सकते है। समस्त ग्रामवासी फ्री चैकअप करवा सकते है। पौधारोपण के सम्बन्ध में 08.10.2023 को राजस्थान पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से नोटिस जारी हुआ था, जिसके तहत निर्धारित राशि वन विभाग में जमा करवा कर खनन इकाई पौधारोपण से मुक्त है, इसके बावजूद भी हमारे द्वारा यहां पर भी पौधारोपण किया गया है। अगर पंचायत सहयोग करें एवं जमीन उपलब्ध करवाई जावे तो यहां और भी पौधे लगाये जायेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि इस परियोजना प्रस्ताव के तहत बताया गया है कि इसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां है, जैसेः– सामुदायिक शिक्षा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

सुविधा– 80 हजार प्रति वर्ष, सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार–30 हजार प्रति वर्ष, सामुदायिक कल्याण गतिविधियांः पौधारोपण, पूजा स्थल विकास, बीज–पौधों का वितरण, सरकारी योजना को प्रोत्साहन एवं अन्य हेडपम्प, बोरवेल की स्थापना, सामुदायिक जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार–प्रसार, सामुदायिक कौशल निर्माण सिलाई, कढ़ाई आदि।

पर्यावरणीय सलाहकार पूजा एवं शिवदयाल गोदारा द्वारा बताया गया कि सामुदायिक कौशल विकास के तहत अकुशल महिलाओं को ट्रैनिंग के माध्यम से कौशल रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे वह आत्मनिर्भर व कुशल बने। इस कार्य हेतु इस लिज द्वारा प्रति वर्ष 2 लाख रूपये एवं क्लस्टर द्वारा प्रति वर्ष 6 लाख रूपये व्यय किये जायेगें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि जागरूक लोगों द्वारा अपनी पंचायत, गांव, क्षेत्र में माईन्सों द्वारा सामुहिक रूप से बहुत विकास जैसेः शिक्षा, सड़क, पोधारोपण, खेल, क्षेत्र विकास, रोजगार जैसे कार्य करवा लिये जाते है।

श्री मेघराज तंवर निवासी तंवरा ने कहा कि यहां एक डायलॉग बना हुआ है, क्रेशर एवं माईन्स वालों द्वारा कि किसी के जापा भी होता है तो हमारे से मांगने आ जाते है, क्या उम्मीद कर सकते है इनसे?

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि ये इनका आपस का मामला है, ये तो पर्सनल है, जो इसके यहां लेबर काम करती है, उनके सुख–दुख में शामिल होते है, लेन–देन है, ये इनका पर्सनल है। आज सामुहिक रूप से होने वाले कार्यों की बात होनी चाहिए।

श्री मेघरांज तंवर निवासी तंवरा ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 35–40 वर्षों से माईनिंग हो रही है, परन्तु आज तक ग्राम पंचायत तंवरा में 1 रू भी डीएमएफटी (DMFT) फण्ड का अलोट नहीं हुआ है।

श्री सुरजीत धुंधवाल निवासी लोड़सर ने कहा कि डीएमएफटी(DMFT) फण्ड घर बैठे नहीं मिलता, पिछले साल 1 करोड़ रूपये आये, यहीं जनसेवक उल्टी कोशिश कर रहे थे, कि ये काम इनसे न हो। इसके लिए भी तो कलेक्टर, एसडीएम आदि के पास जाना पड़ता है, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलता। हम सहयोग करेंगे, साथ में चलेंगे आपके।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने श्री सुरजीत धुंधवाल से कहा कि आप ग्रामीणों को ऐसे नहीं कह सकते कि घर बैठे नहीं मिलेगा। हम मानते है कोशिश करनी पड़ता है, परन्तु आप इस तरह से इन्हें नहीं बोल सकते।

क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible] प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

श्री हरसुख निवासी तंवरा ने कहा कि यहां हाईवे के उपर कंकड़–पत्थर पड़ी है, जिसकी वजह से दुर्घटनाऐं होती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि यह इससे सम्बन्धित बात नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कलेक्टर साहब द्वारा निर्देशित किया जाता है, पर्यावरण विभाग व पुलिस को, ओवरलोड वाहन और गिट्‌टी से मोटरसाईकिल वाले स्लीप होते है, उन सब के लिए अलग से मॉनिटरिंग होती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान कुछ ग्रामवासियों ने प्रस्तावित परियोजना का विरोध व्यक्त किया एवं लिखित में भी आपत्ति प्रेषित की, जिसकी प्रति संलग्न है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

श्री महेन्द्र कुमार मीणा,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
(मु.) डीडवाना–कुचामन

उपस्थिति पंजिका

चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना, आवेदक मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स, Ref. No. 202310000100580, Khasra No. 821/49 & 656/45, प्रस्तावित क्षेत्र 1.0561 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 3,08,916 TPA (ROM) (विक्री योग्य खनिज- 2,15,654.4 TPA, मुर्रम- 65,370 TPA और अपशिष्ट- 30,891.6 TPA) जो कि कलक्टर (Ref. No. 202310000100580, M.L. No.- 35/2014, 248/2009, 13/2020, 59/2019), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 6.0194 हेक्टेयर, अनुमानित कलस्टर खनन उत्पादन क्षमता 8,24,156 TPA(ROM), गांव–तंवरा, तहसील–लाडनुं, जिला–डीडवाना–कुचामन।

स्थानः– सभागार अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत–तंवरा, तहसील– लाड़नूं, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 19.03.2025, समयः दोपहर 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Mahendra Kumar Meena	ADM, Didwana Kuchaman	[signature]
2.	Anant Gaur	NIDR, LADNU	[signature]
3.	Rajkumar Meena	R.O., RSPCB, Nagaur	[signature]
4.	Hemant Kumar	JEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
5.	Tejaswi Mudgal	JCE, RSPCB, Nagaur	[signature]
6.	Shivdayal Godara	Vibsoul tech Lab NIH	[signature]
7.	Sarvesh Kaswan (Lessee)	Dhakawali	[signature]
8.	Arun Kaswan (Lessee)	Lodshar	[signature]
9.	M.K. Tanwar	Tanwara	[signature]
10.	हजारीराम	तंवरा	[signature]
11.	सत्यनारायण उपाध्याय	तंवरा	S. N. [signature]
12.	हिम्मताराम	तंवरा	[signature]
13.	राधाकिशन कुडी	"	[signature]
14.	Godr	"	[signature]
15.	[signature]	तंवरा	[signature]
16.	रघुवीर सिंह	तंवरा	रघुवीर सिंह
17.	नारायण	तंवरा	[signature]
18.	मालाराम	तंवरा	मालाराम
19.	गणेशाराम	तंवरा	गणेशाराम

उपस्थिति पंजिका

चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित **चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना**, आवेदक मैसर्स तिरुपति स्टोन सप्लायर्स, Ref. No. 202310000100580, Khasra No. 821/49 & 656/45, प्रस्तावित क्षेत्र 1.0561 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 3,08,916 TPA (ROM) {विक्री योग्य खनिज- 2,15,654.4 TPA, मुर्रम- 65,370 TPA और अपशिष्ट- 30,891.6 TPA} जो कि कलक्टर (Ref. No. 202310000100580, M.L. No.- 35/2014, 248/2009, 13/2020, 59/2019), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 6.0194 हेक्टेयर, अनुमानित कलस्टर खनन उत्पादन क्षमता 8,24,156 TPA(ROM), गांव–तंवरा, तहसील–लाडनूं, जिला–डीडवाना–कुचामन।

स्थानः– सभागार अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत–तंवरा, तहसील– लाड़नूं, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 19.03.2025, समयः दोपहर 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
20.	भागीरथ कस्वा	तंवरा	भागीरथ
21.	धीराम शर्मा	तंवरा	धीराम शर्मा
22.	हंसराज	सुजानगढ़	हंसराज
23.	भवानी सिंह	बासी	भवानी सिंह
24.	बजरंग सिंह	बिनासी	बजरंग सिंह
25.	धर्मेन्द्र देया	मालासी	धर्मेन्द्र देया
26.	मुकेश देया	मालासी	मुकेश देया
27.	मदन कस्वा	ढाकावाली	मदन कस्वा
28.	कुलदीप गोदारा	ढाकावाली	कुलदीप
29.	संजय	ढाका वाली	संजय
30.	भागीरथ	ढाकावाली	भागीरथ
31.	भैरू सिंह	सितसर	भैरू सिंह
32.	कुलदीप	सितसर	कुलदीप
33.	रविप्रकाश	आबसर	[signature]
34.	विकास	हालासर	[signature]
35.	भंवरलाल	सालासर	Bhanwarlal
36.	दीपेन्द्र सिंह	सालासर	[signature]
37.	दशरथ सिंह	सुजानगढ़	[signature]
38.	राकेश कुमार	बाघसरा	राकेश

उपस्थिति पंजिका

चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित **चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना**, आवेदक मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स, Ref. No. 202310000100580, Khasra No. 821/49 & 656/45, प्रस्तावित क्षेत्र 1.0561 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 3,08,916 TPA (ROM) (बिक्री योग्य खनिज- 2,15,654.4 TPA, मुर्रम- 65,370 TPA और अपशिष्ट- 30,891.6 TPA) जो कि कलक्टर (Ref. No. 202310000100580, M.L. No.- 35/2014, 248/2009, 13/2020, 59/2019), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 6.0194 हेक्टेयर, अनुमानित कलस्टर खनन उत्पादन क्षमता 8,24,156 TPA(ROM), गांव–तंवरा, तहसील–लाडनुं, जिला–डीडवाना–कुचामन।

स्थानः– सभागार अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत–तंवरा, तहसील– लाड़नूं, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 19.03.2025, समयः दोपहर 12:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
39.	रामस्वरूप रिणवा	मालासर	[signature]
40.	आदित्य कुमार	लोडसर	[signature]
41.	इदरीस खान	[signature]	
42.	महेन्द्र सिंह	तोलासर	[signature]
43.	महेन्द्र आर्य	तंवरा	[signature]
44.	सुरेन्द्र सिंह	लोडसर	[signature]
45.	Babu lal	गोरेड़ी	[signature]
46.	Pooja Singh	EIA Coordinator	[signature]

R.O, RSPCB

15/03/25
ADM, Didwana-Kuchaman

सेवामे

श्रीमान जनसुनवाई

अधिकारीगण

सभागार अटल सेवा केंद्र,ग्राम पंचायत तवरा, तहसील-लाडनूं, जिला - डीडवाना-कुचामन

विषय:- "मेसनरी स्टोन एव मुर्रम खनन क्लस्टर परियोजना (लघु खनिज) के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जन सुनवाई, (संदर्भ संख्या 202310000100580, एम.एल.स.-35/2014,248/2009,13/2020,59/2019), कुल क्लस्टर क्षेत्र-6.019 हेक्टेयर मेसनरी स्टोन एवं मुर्रम खनन परियोजना मेसर्स तिरुपति स्टोन सप्लायर्स द्वारा आवेदित, संदर्भ संख्या 202310000100580, खसरा संख्या-821/49, 656/45 ग्राम तवरा के पास, तहसील लाडनूं, जिला- डीडवाना कुचामन खान पट्टा क्षेत्र 1.0561 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता- 3,08,916 टीपीए (आरओएम) (बिक्री योग्य मेसनरी स्टोन-2,15,654.4 TPA. मुर्रम-62,370 टीपीए और अपशिष्ट 30,891.6टीPA)" के सम्बध में शिकायत पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत तवरा तहसील लाडनूं जिला डीडवाना कुचामन की ओर से सविनय अनुरोध है कि:

1. ग्राम पंचायत तवरा में पिछले 35 वर्षो से खनन कार्य अनवरत जारी है जिसके कारण ग्राम पचायत तवरा के पर्यावरण व वातावरण में अत्यधिक बदलाव आ गया है, और पर्यावरण बहुत प्रदूषित रहने लगा है तवरा के चारों तरफ केशर व खनन कार्य सचालित होने के कारण हवा में पुरे दिन डस्ट उड़ती रहती है, जिससे पचायत मे हवा में डस्ट उडती रहती है परिणामस्वरूप ग्राम मे सिल्कोसिस, टी.वी., अस्थमा, एलर्जी व श्वास सम्बन्धित कई तरह की बीमारियाँ होने लगी है अब ग्रामवासियों का दूषित हवा के कारण जीना मुश्किल हो रखा है।

2. मेसर्स तिरुपति स्टोन सप्लायर्स के मालिक अरुण कस्वां के स्वयं व परिवार के ग्राम पंचायत तवरा में पहले से 4 मेसेनरी स्टोन की खाने M.L. NO. 35/2014,248/2009,20/2022,208/2009 व दो स्टोन क्रेशर मेसर्स कस्वा स्टोन क्रेशर खसरा नम्बर 876/868,श्री बालाजी स्टोन क्रशिंग इडस्ट्रीज खसरा नबर 645/39,646/39 संचालित है जहाँ पर CTO,CTE व E.C. के सभी नियमों का उल्लघन किया जा रहा है कृपया इनको नई E.C. जारी करने से पूर्व इनकी उपरोक्त पुरानी इकाइयों को जिन नियमो के तहत EC,CTO व CTE जारी किया गया था उन नियमो की शत प्रतिशत पालना हो रही है या नहीं इसकी जाँच करके जन सुनवाई वाले दिन या उस से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय व ग्रामवासियों के सामने अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये, अन्यथा इनके EC के प्रस्ताव को नामंजूर किया जाये।

3. उपरोक्त इकाइयों में ना तो 33 प्रतिशत एरिया में ग्रीन बेल्ट विकसित किया है जबकि इनको खनन करते हुए 10 वर्षो से अधिक हो गये है, और ना ही पेड़ लगाये है ना पक्की सड़क बनाई हुई है, लेबर के लिए कोई प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं है, ना रेस्ट रूम बनाये गये है, ना पीने के पानी उचित व्यवस्था है, ना सेफ्टी के लिए उपकरण दिए गये है, ना अपने खनिज पट्टे के बाहर सुचना पट्ट लगा रखा है, ना सीमांकन के लिए चारों तरफ पिल्लर बना रखे है. ना सुरक्षा के लिए उचित दिवार बना रखी है, ना वाटर स्पार्कलिंग सिस्टम लगा रखा है, और ना विंड वाल बना रखी है, जब तक ये सभी नियम ने पूरे नहीं करते तब तक इनको नई EC जारी ना की जाए।

4. ग्राम पंचायत तंवरा में जो 6.019 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाया गया है उसके अंतर्गत आने वाली खनन लीजें ML NO.35/2014,248/2009,13/2020,59/2020 सभी EC व CTO के नियमों व शर्तों का उल्लंघन कर रहे है. इनको जिन नियमों के तहत EC व CTO जारी किये गये थे क्या ये सभी इन नियमों की शत प्रतिशत अनुपालना कर रहे है उसकी जाँच कर जनसुनवाई वाले दिन या उस से पहले ग्राम पंचायत कार्यालय व ग्रामवासियों के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाये, अगर ये नियमों की शत प्रतिशत अनुपालना नहीं कर रहे है तो इनकी EC व CTO,CTE को रद्द कर इनकी खनन लीज निरस्त की जाये।

5. उपरोक्त मेसेनरी स्टोन की खनन लीजों व स्टोन क्रेशरों में से किसी ने भी ऑनलाइन एयर क्वालिटी मोनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा रखा है जबकि प्रत्येक की EC व CTO में 3 वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यंत्र लगाने का नियम है, जो कई EC के नियमो का उल्लघन है.ML NO. 35/2014,248/2009 में तो ग्राउंड वाटर तक आ चुका है फिर भी इनके द्वारा खनन कार्य अनवरत जारी है इनके पास CGWA की परमिशन है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए कृपया सभी की जाँच कर जनसुनवाई वाले दिन जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6. ग्राम पंचायत तंवरा के ग्रामवासियों की तरफ से निवेदन है की जो भी विभाग EC व CTO,CTE जारी करते है वो अब ग्राम पंचायत तंवरा मे नये EC व CTO,CTE जारी ना करे, क्यूंकि हमारे ग्राम पंचायत मे पर्यावरण प्रदूषण का स्तर इतना बढ चुका है कि आमजन का जीना मुश्किल हो गया है, सरकार अपने राजस्व को बढाने के लिए स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रही है जो एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन है, स्वस्थ हवा हर आम नागरिक को जीने के लिए जरूरी है जो अब ग्राम पंचायत तंवरा मे दूषित हो चुकी है, स्थानीय लोगो के स्वास्थ्य व कृषि भूमि पर पड़ रहे बुरे असर को देखते हुए ग्राम पंचायत तंवरा मे अब नई EC व CTO जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए ।

7. क्या ये नियम कही लिखित मे है कि पेड लगाने की जगह वो वन विभाग से पैसे की पर्ची कटवा सकते हैं अगर है तो कहा है हमे दिखाए,क्योंकि प्रदूषण ग्राम पंचायत तंवरा मे हो रहा है और पेड़ लगाने के लिए वन विभाग से पर्ची कटवा लेना ये कहाँ तक उचित है,प्रदूषण के कारण बीमारियां ग्राम पंचायत तंवरा में बढ रही है और दवाई कहीं और जगह के लोगों को दी जा रही है ये तर्कहीन तथ्य है और ग्राम पंचायत तंवरा के लोगों के साथ नाइंसाफी है।

8. तहसीलदार लाडनूं ने अभी तक खनिज विभाग को वो पटवारी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी जिसमे गोचर में खनन होना पाया गया है, राजस्व विभाग ने खनिज विभाग से गोचर में खनन करने के वैध दस्तावेज मांगने के लिए अभी तक कोई पत्र क्यों नहीं लिखा।

9. सभी क्रेशर और खाने E.C.,CTO व CTE नियमों के अंतर्गत क्यों नहीं चल रही है,इस भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की जाँच होनी चाहिये।

10. E.C.,CTO व CTE के नियमों का पालन ग्राम पंचायत तंवरा में हो रहा है या नहीं इसका भौतिक सत्यापन आज दिनाँक 19/03/2025 को जनसुनवाई वाले दिन ग्रामवासियों के सामने किया जाये ताकि सच्चाई सबके सामने आये,और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके E.C.,CTO व CTE प्रमाण पत्र निरस्त किये जाये।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है की मामले की गम्भीरता को देखते हुये आप सभी जनसुनवाई अधिकारीगण सनिष्पक्ष जाँच करवाये, और इस शिकायत में लिखे हुए सभी बिन्दुओं की बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ग्रामवासियों के सामने प्रस्तुत की जाये,क्युकी क्षेत्रीय कार्यालय नागौर में पर्यावरण प्रदुषण की बार-बार शिकायत देने के बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और मेसर्स तिरुपति स्टोन सप्लायर्स के E.C. के आवेदन को निरस्त कर हम ग्रामवासियो को पर्यावरण प्रदुषण से होने वाली बिमारियों से निजात दिलाएं, और एक आम नागरिक के स्वस्थ हवा व स्वस्थ पानी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें।

"सधन्यवाद"

प्रार्थी

ग्राम पंचायत तंवरा व समस्त
ग्रामवासी ग्राम तंवरा

अनिश शर्मा
सोहन पाल
भागवानाराम
मूल सिंह
9828196008
रामनिवास डूडी 9772736700
Om Prakash.
पवन कुमार जांगिड़
गोविन्द शर्मा 7349693041
9602427701
9587160948
रघुवीर सिंह
हजारीराम 8875514091
अमरचन्द

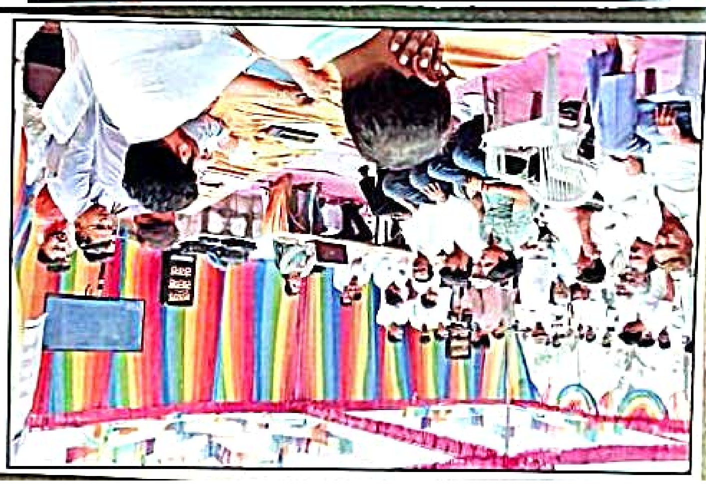

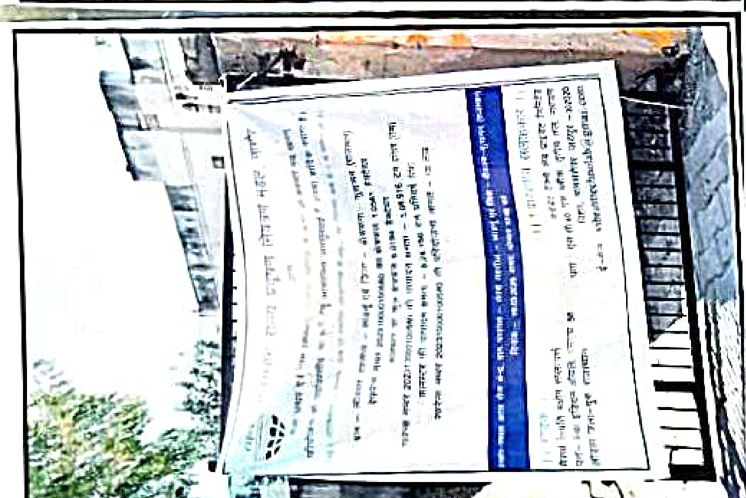

When Gandhi met Tolstoy for the first time in Jaipur

AISHWARYA KHOSLA
JAIPUR, FEBRUARY 5

ON THE sun-dappled tented grounds of the Jaipur Literature Festival, an extraordinary meeting took place—one that history had long yearned for but had never witnessed. The descendants of two of the most influential thinkers of modern history—Mahatma Gandhi and Leo Tolstoy—met for the very first time. Gopalkrishna Gandhi and Daniil Tolstoy took stage to explore their extraordinary legacy.

Moderator and Penguin editor-in-chief Manasi Subramaniam set the stage by recounting the serendipitous moment which ignited an intellectual partnership between Mohandas Karamchand Gandhi and Leo Tolstoy that helped shape the future of non-violent resistance. "In 1909, a young Indian lawyer in Johannesburg happened upon a revolutionary manifesto, A Letter to a Hindu, written by a Russian count."

As the audience leaned in, Gopalkrishna Gandhi, historian and professor, described the exact moment when his grandfather, M K Gandhi, first encountered Leo Tolstoy's words. "In 1909, Gandhi had arrived in London on a deputation," he recounted. "On the very day he landed, a dramatic assassination of a British official by an Indian nationalist rocked the city. Amid the turmoil, Gandhi stumbled upon a letter—a letter that urged India to reject violence and instead embrace love as the only path to liberation. It was written by none other than Leo Tolstoy."

Gopalkrishna Gandhi and Daniil Tolstoy at the Jaipur Literature Festival. X/@JaipurLitFest

"In that letter, Tolstoy quotes great texts from the Hindu faith, Krishna, the Gita, and also from the extraordinary work Thirukkural, the great Tamil classic," Gopalkrishna Gandhi said.

Daniil Tolstoy nodded in agreement. "By the time Tolstoy wrote A Letter to a Hindu, he was 80 years old and had become deeply disillusioned with violence as a means of change," he said. "He had witnessed the brutalities of the 1905 Russian Revolution and was convinced that non-violence was the only path forward. He immersed himself in religious and ethical philosophy, even learning ancient Greek at the age of 45, so he could better understand the original Gospel texts."

The conversation then turned to the famous correspondence between Gandhi and Tolstoy, a series of letters exchanged between 1909 and 1910. "Every letter is remarkable," said Subramaniam. "Tolstoy spent seven months, wrote 29 drafts, and filled 400 pages before finalising A Letter to a Hindu. That is an extraordinary amount of effort. Gandhi was deeply moved and immediately wrote back."

Gopalkrishna Gandhi read an excerpt from his ancestor's first letter, which began, "Count Tolstoy, I take the liberty of inviting your attention…"

"Gandhi was 40 when he wrote those words, while Tolstoy was 80. And yet, Gandhi leaned on Tolstoy's words as if they were a pillar of strength. Much like I leaned on Daniil's arm as I climbed the steps onto this stage today," observed Gopalkrishna Gandhi. Laughter rippled through the audience at this candid admission before Daniil Tolstoy picked up the thread.

"In his final letter to Gandhi, my great-grandfather reflected on the moral contradictions of society. He told a story of a bishop teaching children about the Ten Commandments. When asked whether there were exceptions to the commandment 'Thou shalt not kill', the bishop hesitated, finally conceding that killing was sometimes permissible in war or in dealing with criminals. Then, a young girl in the audience responded, 'No, there is never an occasion when you can kill another human being.' That was the essence of Tolstoy's belief," Daniil Tolstoy said.

The conversation then turned to the establishment of Tolstoy Farm. Gopalkrishna Gandhi said, "He set up a farm outside Johannesburg where the families of Satyagrahis could live self-reliantly." This farm, named in honour of Tolstoy, became a sanctuary for those affected by the struggles in South Africa.

"Daniil, your great-grandfather was gone by then," Gopalkrishna said, "but his influence was palpable. Tolstoy was so alive in Gandhi's life that his farm was a magnet for the South African Satyagraha campaign."

The conversation then turned to the modern relevance of their ancestors' ideas. When asked if love-based resistance could still be a solution in today's world, Daniil Tolstoy responded, "We rely on science and technology to solve our problems, but these often create new ones. Tolstoy's idea of unconditional love, or agape, is perhaps more relevant now than ever."

Gopalkrishna Gandhi echoed this sentiment, citing contemporary examples of sportsmanship and camaraderie. "Neeraj Chopra, the Indian javelin thrower, recently spoke of his Pakistani competitor as a brother. That is the spirit of love and respect that Gandhi and Tolstoy championed," he said.

India likely to skip February 10 deadline for climate action plan

May not ramp up climate targets for 2035 under Paris Agreement

AMITABH SINHA
NEW DELHI, FEBRUARY 5

INDIA WILL likely skip the February 10 deadline for submitting the next round of climate action plans required under the Paris Agreement and may not significantly upgrade its targets, *The Indian Express* has learnt.

These plans, called Nationally Determined Contributions or NDCs, are supposed to provide details of the climate action countries intend to take up to 2035.

The Paris Agreement requires its member countries to refresh their NDCs in five-year cycles. The existing NDCs, submitted in 2020, pertain to the period up to 2030. The Paris Agreement Implementation and Compliance Committee, after a meeting last year, decided to ask countries to submit their 2035 NDCs by February 10, about nine months ahead of the year-ending annual climate conference.

India, however, is not ready with its 2035 action plan — and in no hurry to meet the deadline.

In fact, the Indian NDC might be submitted only in the second half of the year, closer to the annual climate meeting being held in Brazil in November, official sources said. There is no penalty for late submissions. Not many countries have submitted their 2035 NDCs, with many developed countries yet to do so.

The US, incidentally, is among the countries that have submitted their NDCs. The Joe Biden administration had approved and submitted the 2035 submissions in December.

India has also skipped the December 31, 2024 deadline for the submission of the first Biennial Transparency Report (BTR), the new format in which a country has to report its detailed inventory of emissions. This report, too, is expected to be submitted around the middle of the year.

The sources cited above also said that India's NDC would likely "reflect the disappointment of the climate finance outcome at COP29 in Baku" last year. This is a hint that the 2035 NDC is unlikely to be a significant or ambitious upgrade of climate actions compared to the existing NDC for 2030.

India and other developing countries have expressed serious disappointment with the outcome of COP29, last year's climate conference in Baku, which delivered an extremely weak agreement on climate finance.

Developing countries had been seeking a commitment of at least $1 trillion every year from the developed world in climate finance. But developed countries agreed to mobilise no more than $300 billion a year, and that too only from 2035.

India has maintained that lack of adequate finance is a major setback to global climate action.

The Economic Survey presented last week also made a similar argument, and clearly hinted at a readjustment of climate targets by India.

"The funding shortfall may lead to a reworking of the climate targets. Considering that domestic resources will be the key to action, resources for meeting development challenges may be affected, undermining progress toward sustainable development objectives and compromising the integrity of international climate partnerships," the Survey said.

For the 2030 period, India has made three commitments. It has said it will reduce emissions intensity of its economy (emissions per unit of GDP) by 45% from 2005 levels, and ensure that at least 50% of its installed electricity generation capacity comes from non-fossil fuel sources. It has also promised to increase forest and tree cover so that they can absorb an additional 2.5 to 3 billion tonnes of carbon dioxide every year.

India is on course to achieve all these three targets well ahead of 2030.

The 2035 NDC has to be a progression over the 2030 targets. But the scale of this progression is to be decided by the countries themselves, in keeping with their capabilities and resources.

Heavy security around Roorkee as tensions run high over firing at MLA office

AISWARYA RAJ
DEHRADUN, FEBRUARY 5

SIX COMPANIES of central police forces, state police, drone surveillance and checkposts at three border points.

Authorities in Uttarakhand Wednesday turned Roorkee city into a fortress after the Gurjar community called a mahapanchayat in support of BJP leader Kunwar Pranav Singh 'Champion', who was remanded in judicial custody for allegedly opening fire at the office of Khanpur MLA Umesh Kumar.

Tensions between Gurjar and Brahmin communities have been running high after both were arrested. Kumar, an Independent MLA, was granted bail while Singh, a former MLA from Khanpur, was held on charge of attempted murder.

Haridwar SP Pramendra Dobhal said officers have been deployed in Laksar area to ensure there is no gathering. "A mahapanchayat was announced and later called off by the community, but we have deployed officers. We have carved out seven zones and posted Deputy SPs and 12 inspectors along with six companies of CAPFs and PAC (Pradeshik Armed Constabulary). As per our inputs, no one has gathered for the event," he said.

Kumar said Wednesday: "I apologised to the community and wanted the area to return to normalcy. But another mahapanchayat was called and they asked me to go to Singh's mahal (house) and apologise. I have never spoken against the community."

BENGAL BUSINESS SUMMIT

West Bengal CM Mamata Banerjee at the 8th Bengal Global Business Summit in Kolkata on Wednesday. Reliance Industries chairman Mukesh Ambani, JSW Group chairman Sajjan Jindal, RP-Sanjiv Goenka Group chairman Sanjiv Goenka, and ITC chairman and MD Sanjiv Puri are also seen. *Partha Paul*

Cong MLAs create uproar in House over dissolution of new districts

PRESS TRUST OF INDIA
JAIPUR, FEBRUARY 5

OPPOSITION CONGRESS MLAs created uproar in the Rajasthan Assembly on Wednesday over the state government's dissolution of new districts. Due to the pandemonium, the House proceedings were adjourned for 15 minutes.

Assembly Speaker Vasudev Devnani later ruled that the two MLAs who made the adjournment motion on this issue would be allowed to speak for two minutes each on Thursday. He added that the government would give a brief statement on this matter.

During Zero Hour, the Speaker said Congress MLA Suresh Modi and 30 other members had given adjournment motions regarding the situation arising out of the dissolution of three newly-formed divisions and nine districts of the state. He said MLAs Suresh Modi and Ramkesh, also a Congress legislator, would be allowed to speak for two minutes each on the subject matter of their motion.

Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel said the dissolution of districts and divisions case is pending in the high court and there has been a tradition of not discussing any issue pending in the court in the Assembly. He requested the Chair not to discuss the adjournment motion.

Leader of Opposition Tikaram Jully objected to this and said the matter of only two districts is in the court. "We will not mention the two districts here. There should be no problem in discussing the rest of the districts," he said.

The Speaker decided not to discuss the issue on Wednesday. The opposition expressed displeasure and created uproar. Amidst the din, the Speaker adjourned the proceedings for 15 minutes. The uproar continued even after the House resumed the proceedings.

After the lunch break, Speaker Devnani ruled, "The two members whose names were announced today to speak on this adjournment motion will be allowed to express their views on Thursday. At the same time, a minister will answer on behalf of the government." Later, House proceedings continued.

The previous Gehlot government had issued a notification to create 17 new districts and three new divisions. Besides, three new districts were announced but its notification was not issued.

The present BJP government led by Chief Minister Bhajan Lal Sharma decided in December to dissolve the nine districts and three new divisions formed by the Gehlot government. However, eight new districts have been retained.

J&K SECURITY REVIEW MEETING

Take action against terror funding from narco trade, says Amit Shah

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 5

UNION HOME Minister Amit Shah Wednesday reviewed the security situation in J&K again and directed all security agencies "to take more stringent action on infiltration and acts of terror with a ruthless approach", the MHA said in a statement.

Chairing a high-level review meeting on security situation in J&K at his residence, Shah appreciated the efforts of security agencies in significantly improving all parameters of security scenario.

Shah said the narcotics network is providing support to infiltrators and terrorists to carry out their activities. "There is a need to take prompt action against terror funding from the proceeds of the narcotics trade with alacrity and rigour," he said.

Union Home Minister Amit Shah at a meeting in New Delhi, Wednesday. *PTI*

kotak
Kotak Mahindra Bank
Regd office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Corporate office: Kotak Infiniti, Bldg No 21, Infinity Park, General AK Vaidya Marg, Malad (E), Mumbai – 400 097 www.kotak.com

AUCTION - NOTICE

That the below mentioned Borrower/s had availed gold loan facility against security of the gold ornaments/ items, as specified below. The Borrower/s defaulted in due repayment of the installments and outstanding dues and as a result of which the Bank was constrained to issue notices calling upon the Borrower/s to repay the outstanding amounts. However, the Borrower/s has failed to repay/clear his outstanding dues thereby compelling the Bank to auction the gold ornaments pledged in favour of the Bank. The auction of the below mentioned gold ornaments would be held on/after at :-

Date: Date: 15-02-2025 Time: 10.30 AM Place: Respective Branch Premises

Apac	Borrower Name	State	Location	Branch	Gross weight (In Gms)
GLN3577031	DHEERAJ DIDWANIYA	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	46.39
GLN3358638	KAMLENDRA SINGH UDAWAT	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	329.81
GLN3588947	KRISHNA KANWAR	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	12.359
GLN3318133	LEKHRAJ GURJAR	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	79.4
GLN3584104	MAHENDRA NATH	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	11.87
GLN3432268	MEENAKSHI JAIN	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	477.67
GLN3432272	MEENAKSHI JAIN	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	403.16
GLN3522439	NEERAJ RAJPUROHIT	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	329.37
GLN3556730	POOJA KANWAR	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	51.01
GLN3549652	RAHMU KHAN	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	7.68
GLN3578384	S FARAH CHISHTY	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	13.73
GLN3556855	SHILPI JAIN	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	64.2
GLN3525518	SHILPI JAIN	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	83.76
GLN3584500	SUNITA KANWAR	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	103.03
GLN3348648	SYED SHADAB MOINI	Rajasthan	JAIPUR	AJMER_G	215.91
GLN3489644	BHEEKHA SINGH	Rajasthan	JAIPUR	AJMERSUB	25.075
GLN3589860	ANISH KHAN	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	75.7
GLN3370373	HEMANT JAGIND	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	26.9
GLN3361107	KHAMJI SINGH	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	56.7
GLN3505513	MANISH KUMAR SAINI	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	17.1
GLN3587781	MANOJ KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	67
GLN3576137	SONU .	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	207.8
GLN3369157	VIPIN KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	38.4
GLN3579255	VIPIN KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	ALWAR	89
GLN3551923	MANOHAR LAL	Rajasthan	JAIPUR	BALOTRA	73.2
GLN3399657	MEGHA RAM	Rajasthan	JAIPUR	BALOTRA	454.8
GLN3365019	NIRANJAN SINGH TANWAR	Rajasthan	JAIPUR	BANSWARA	8.7
GLN3343923	DWARKALAL GOSWAMI	Rajasthan	JAIPUR	BARAN	13.7
GLN3344031	DWARKALAL GOSWAMI	Rajasthan	JAIPUR	BARAN	23.2
GLN3324205	RAMLAL BHEEL	Rajasthan	JAIPUR	BARAN	23.2
GLN3552567	GULAM KHAN	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	334.2
GLN3550213	IDRISH KHAN	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	265.5
GLN3514568	JAGADISH .	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	33.4
GLN3323797	JASAVANT GIRI	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	21.7
GLN3404069	JETHI DEVI	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	7.9
GLN3257553	KHEMA RAM	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	237.816
GLN3289139	KHUDA BAKSH	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	96.2
GLN3582845	LAL SINGH	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	664.06
GLN3559264	LALIT CHOUHAN	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	233.8
GLN3280743	MANISH KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	12.6
GLN3591307	MUKESH KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	525.6
GLN3592220	PAWANI .	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	7
GLN3565302	RAMESH JAKHAR	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	25.9
GLN3312050	RANA RAM	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	278.7
GLN3358038	RANA RAM	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	21
GLN3253810	SAGTARAM B JANGID	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	119.8
GLN3589262	SANG SINGH	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	37.6
GLN3350194	SUNIL KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	BARMER	20.6
GLN3314820	JASWANT GEHLOT	Rajasthan	JAIPUR	BASNI	15.3
GLN3592607	KANCHAN BHATI	Rajasthan	JAIPUR	BASNI	41.18
GLN3312350	ABHIMANYU UPADHYAY	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	28.2
GLN3339071	BHERU BAIRWA	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	22
GLN3515217	GAJANAND KUMAWAT	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	29.4
GLN3389336	HARDAYAL SINGH	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	34.9
GLN3332490	SANVAR MAL .	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	16.3
GLN3559785	SATYANARAYAN DHAKER	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	298.1
GLN3559709	VIJENDRA SINGH RATHORE	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	111.3
GLN3559713	VIJENDRA SINGH RATHORE	Rajasthan	JAIPUR	BHILWARA	239.1
GLN3512978	AKRAM KHAN	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	15.7
GLN3520890	HIMANSHU VYAS	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	94.7
GLN3556054	NARAYAN MAL SONI	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	85.9
GLN3353048	PUNEET PUROHIT	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	83
GLN3590904	PUSHPA DEVI	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	29.14
GLN3428502	RAKESH CHANGRA	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	28.335
GLN3576858	SANJAY BISHNOI	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	9.8
GLN3562150	SHABNAM BANO	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	13.6
GLN3344697	VIJAY SHANKAR KUMAR	Rajasthan	JAIPUR	BIKANER	58.7
GLN3560110	ASHOK KUMAR SHARANGI	Rajasthan	JAIPUR	BUNDI	87.95
GLN3344533	KAUSAR RABBANI	Rajasthan	JAIPUR	CHITTAUGRH	81
GLN3515236	CHOUGAN MAL SAINI	Rajasthan	JAIPUR	CHOMU	26.8
GLN3547110	MANISH VERMA	Rajasthan	JAIPUR	DURGANRSRY	48.2
GLN3567101	PRAKASH DANGI	Rajasthan	JAIPUR	DURGANRSRY	11.8
GLN3550228	BHARAT RAM	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR	102.89
GLN3441795	LAXMAN SINGH	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR	129.8
GLN3547998	PUNA RAM	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR	46.5
GLN3554293	SUSHIL KUMAR PANDEY	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR	294.26
GLN3585370	AJIJA .	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR1	29.3
GLN3554159	BHAGAWAN RAM	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR1	6.75
GLN3570855	JAINA RAM PRAJAPAT	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR1	11.2
GLN3577682	REWANT SINGH	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR1	285.8
GLN3573019	SHARWAN RAM DEWASI	Rajasthan	JAIPUR	JODHPUR1	7.4
GLN3391457	ANISH JOHARI	Rajasthan	JAIPUR	JOHARIBZR	71.8
GLN3580645	SATPAL KAUR	Rajasthan	JAIPUR	KHAIRTHAL	26.08
GLN3355280	BHAWARI BANU	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	55.9
GLN3581077	DEEPU GURJAR	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	19.2
GLN3585312	FIROZ .	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	52.9
GLN3579481	MAHENDRA SINGH	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	13.4
GLN3582180	MOHMMAD SHAHID CHHIPA	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	72.2
GLN3554221	NISHANT LAKHMANI	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	78.7
GLN3557653	SANWRA .	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	19.87
GLN3501428	SANWRA .	Rajasthan	JAIPUR	KISHANGARH	20.92
GLN3365839	IRFAN ALI	Rajasthan	JAIPUR	KOTA	79.68
GLN3465650	ABDUL HAKIM BISAYATI	Rajasthan	JAIPUR	LAXMIMARKE	144.8
GLN3315801	SUNITA DEVI	Rajasthan	JAIPUR	LAXMIMARKE	205.8
GLN3264703	ANIL ARORA	Rajasthan	JAIPUR	PALROAD	34.45
GLN3282369	BILAKI DAS BOHRA	Rajasthan	JAIPUR	PALROAD	34.06
GLN3593108	GAJENDRA SANKHLA	Rajasthan	JAIPUR	PALROAD	30.6
GLN3548758	SUMIT .	Rajasthan	JAIPUR	PALROAD	57.9
GLN3548777	SUMIT .	Rajasthan	JAIPUR	PALROAD	240.2
GLN3589615	BANTU SINGH RATHOR	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	70.3
GLN3553630	BHANWAR SINGH RATHORE	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	92.04
GLN3580226	HOKAM SINGH	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	39.88
GLN3462807	JAY PRAKASH JOSHI	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	12.76
GLN3555970	KANCHAN KUNWAR	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	171.8
GLN3589258	MADHU KUMAWAT	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	58.8
GLN3532089	RIZWAN KHAN	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	128.45
GLN3580520	BHARMILA KUNWAR	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	204.22
GLN3532109	BURAJ KANWAR	Rajasthan	JAIPUR	RAJSAMAND	29.59
GLN3430619	MADAN KANWAR	Rajasthan	JAIPUR	SANGARIYA	349.9
GLN3560834	MANISH JANGID	Rajasthan	JAIPUR	SANGARIYA	15.9
GLN3400847	RAJESH JANGID	Rajasthan	JAIPUR	SANGARIYA	120.8
GLN3566881	RAJESH JANGID	Rajasthan	JAIPUR	SANGARIYA	21.6
GLN3516430	BUMER LAL	Rajasthan	JAIPUR	SANGARIYA	17
GLN3448720	BABLU GURJAR	Rajasthan	JAIPUR	SARDARMARG	48.4
GLN3470805	SAPANA SHARMA	Rajasthan	JAIPUR	SARDARMARG	53.2
GLN2295368	SHYAM KAMLANI	Rajasthan	JAIPUR	SARDARMARG	136
GLN3389133	DEVI SINGH BHATI	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	286.3
GLN3589190	KAVITA SINDHI	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	15
GLN3590848	KHUSHBU MALI	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	44.6
GLN3588411	NARENDRA SINGH RANAWAT	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	158.7
GLN3282224	PRITESH JAIN	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	148.5
GLN3483484	RAM SINGH DEVRA	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	91.4
GLN3552755	SHAILESH VIMAL GAUR	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	474.4
GLN3370109	SURAJ DANGI	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	10.5
GLN3298549	YASMEEN Z SALODAWALA	Rajasthan	JAIPUR	UDAIPUR	44.9

Bidders are requested to Submit a copy of their Photo – Identity, signature and address proof along with their original for verification together with two recent photographs on the day of auction. The Bank reserves the right to change the venue/date/time of auction or cancel the auction without any notice to bidders. The cost of the auction process will be debited to the customer account. Bank reserves the right to recover the balance amount from the customer if the bid amount is insufficient to meet the payoff amount of the account. For any further details regarding the terms and conditions of the auction, you are required to contact the below mentioned persons.
Mr. Anand Soni- 9305030644(E-mail- Anand.soni@kotak.com)
Kotak Mahindra Bank Ltd.

PUBLIC NOTICE

To whomsoever it may concern

This is to inform the General Public that following shsare certificate (s) of (Name of Company) Privi Speciality Chemicals Limited having its registered office at Privi House A-71, TTC, Thane Belapur Road, Kopar Khairne, Navi Mumbai-400710 India registered in the name of the following shareholder/s has been lost by them.

Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Certificate No./s	Distinctive Number/s	No. of Shares
1	Priti Gaur	007491	8362	4736101-4736200	100
2	Priti Gaur	007491	8363	4736201-4736300	100
3	Priti Gaur	007491	8364	4736301-4736400	100
4	Priti Gaur	007491	8365	4736401-4736500	100
5	Priti Gaur	007491	8366	4736501-4736600	100
6	Priti Gaur	007491	38975	11389515-11389614	100
7	Priti Gaur	007491	40000	12534464-12534523	60
8	Priti Gaur	007491	40975	13787638-13787703	66

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates. Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should claim with the (name of the company) having its registered office at Privi House A-71, TTC, Thane Belapur Road, Kopar Khairne, Navi Mumbai-400710 India its Registrar and Transfer Agents Link Intime India Pvt Limited, 5th Floor, 506 TO 508, Amarnath Business Centre-1 (ABC-1) beside Gala Business centre, Nr. St. Xavier College corner, off CG Road, Ellisebrinde, Ahmedabad-38006 Gujarat within 15 day of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place Jodhpur
Date 26/11/2024
Mohan Lal Bishnoi (Advocate)
Rajasthan High Court
Jodhur, 9413203323
Priti Gaur
Legal Claimant

Modern Education Society, Pune
19, Late Prin. V. K. Jog Path, Wadia College Campus
Pune – 411001, Maharashtra (India)

Applications (in the prescribed format) are invited from the eligible candidates having acquired necessary academic and professional qualifications and fulfilling other conditions for the 'Post of Principal' (Grant In aid) to be filled on vacant post in the below mentioned colleges affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune and Mumbai University, Mumbai. For the detailed advertisement and application form visit our website https://mespune.org/announcement/z

Sr No	Name of the College	Name of the Post	No of Posts	Reservation
1	Nowrosjee Wadia College, Pune	Principal	01	General (Open to all)
2	Ness Wadia College of Commerce, Pune		01	
3	D.G. Ruparel College of Arts, Commerce and Science, Mumbai		01	
4	New Law College, Mumbai		01	

Terms & Conditions:
- "Qualifications, pay scales and other requirement are as prescribed by the UGC notification dated. 18-July-2018 Government of Maharashtra Resolution No. Misc-2018/C.R.56/18/UNI-1, dated. 8-March-2019 and University circular No. TAAS/(CT)ICD/2018-19/1241, dated. 26-March-2019 and revised from time to time." The Government Resolution & Circular are available on the website mu.ac.in
- The above posts are open to all. However, candidates from any category can apply for the posts.
- Candidates having knowledge of Marathi will be preferred.
- Reservation for women will be as per **University Circular No. BCC/16/74/1998 dated. 10th March, 1998. 4% reservation shall be for the persons with disability as per University Circular No. Special Cell/ICC/2019-20/05 dated 05th July, 2019.**
- Master's degree with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed by a recognized university. Relaxation of 5% is applicable at the graduate and masters level for the scheduled caste / scheduled tribe / differently abled (physically and visually challenged) categories for the purpose of eligibility and for assessing academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks. Relaxation of 5% is applicable from 55% to 50% of the marks to the Ph.D degree holders, who have obtained their master's degree prior to 19th September 1991.
- Ph.D or equivalent qualification in concerned / allied / relevant discipline(s) with evidence of published work / research guidance.
- Candidates applying for the post of Principal should submit their verified API score record A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Appraisal System (PBAS) as set out in appendix III of UGC regulation 2019 and approved by concerned authorities.
- Associate Professor / Professor with approved total experience of fifteen years of teaching / research / administration in Universities, Colleges and other institutions of Higher Education.
- All conditions including above regarding qualifications are as per norms prescribed by UGC, Government of Maharashtra, Savitribai Phule Pune University, Pune and Mumbai University, Mumbai.
- As per the U.G.C norms appointment for the post of Principal will be for tenure of five years from the date of appointment or up to the attainment of superannuation whichever is earlier.
- The candidates selected for the position of Principal, will be considered for any one of the four colleges under Modern Education Society, Pune. The decision of the management shall be final in this regard.
- The post of Principal is subject to transfer among the institutions of the Modern Education Society at Pune and Mumbai.
- This recruitment procedure is subject to decision by Hon. Bombay High Court, Aurangabad Bench on writ Petitions No. 12051/2015.
- Applicants who are already employed must send their application through proper channel. Applicants are required to account for breaks if any in their academic career.
- Candidates who had applied as per the previous advertisement released in January 2024 should submit fresh applications as mentioned above.
- No. T.A./D.A. will be payable to the candidates for attending interviews.
- Interested candidates should send Hardcopy of the application form (filled through Google form) with Resume, Testimonials, attested copies of all relevant documents and certificates, API should reach to **The Secretary, Modern Education Society, Pune 19, Late Prin. V. K. Joag Path, Wadia College Campus, Pune - 411 001 within 31 days** from the date of publication of this advertisement.
- Incomplete applications, applications received after the last date and applications not submitted through proper channel are liable to be rejected.

Date: 06.02.2025
Sd/–
Secretary / Trustee
Modern Education Society, Pune

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
LiFE
ई-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com
दिनांक 03/02/2025
पर्यावरणीय स्वीकृति चेजा पत्थर एवं मुरम (अप्रधान खनिज)
खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना
भवदीय (सचिन कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, नागौर

Scanned with OKEN Scanner

डीडवाना

मेड़ता सिटी

पंजीयन करवाने उमड़े किसान

फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आगाज

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डीडवाना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने एवं डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एग्रीस्टैक योजना के तहत जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन बुधवार से शुरू हुआ। जिले में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए बुधवार को डीडवाना तहसील की ग्राम पंचायत खोजास में, छोटी खाटू की पावा में, मौलासर की अलखपुरा में, लाडनूं की ड्यूपुरा में, परबतसर की ग्राम पंचायत रिंद में, मकराना की मोडीचारणा में, दांवां की डांडाली में तथा कुचामन की उपपुरा में फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किये गए और किसानों का विशिष्ट फार्मर आईडी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इस योजना के तहत 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जहां किसानों की फार्मर आई.डी. बनाई जाएगी। एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनाने के लिए बुधवार से जिले में आयोजित हुए फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का जिला कलक्टर पुखराज सेन ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है।

मेड़तासिटी। प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित करने को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल के तहत पंजीयन शिविरों का आयोजन बुधवार से शुरू हुआ। नेतड़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासक पूनम चौधरी की अध्यक्षता एवं तहसीलदार रामसिंह गुर्जर, सरपंच रामकिशोर भुंवाल, कृषि विस्तार सहायक निदेशक रामप्रकाश बेड़ा, टीएमएलटी अधिकारी गजानंद, गिरदावर रामकिशोर, कनिष्ठ सहायक देवराज वैष्णव की मौजूदगी में आयोजित शिविर में एसडीएम पूनम ने आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक आईडी को लेकर किसानों को मिलने वाले लाभ बारे में जानकारी दी। आज शिविर में पंजीयन करवाने के लिए 125 किसान पहुंचे, लेकिन सर्वर डाउन की समस्या के चलते प्रथम दिन 16 फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड वितरित किए जा सके।

छोटीखाटू

रियांबड़ी

सांजू

छोटीखाटू। निकटवर्ती ग्राम पावा के अटल सेवा केन्द्र पर बुधवार को फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर अधिकारी तहसीलदार नरसिंह चारण, विकास अधिकारी गोपाल, जिला परिषद सदस्य हरीराम कुरड़िया, आर आई रामनिवास फरड़ोदा, पटवारी तहसील अध्यक्ष हरफूल, पटवारी मनीष शर्मा का सरपंच रामनिवास कुरड़िया व ग्रामीणों द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। शिविर के पहले दिन 160 किसान फार्मर आईडी बनाई गई है और शिविर आगामी दो दिन चलेगा। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी सुमन यादव, माया जाट, टीसीएम अर्जुनराम महेशोत, बंशीलाल कुमावत, शौभूराम मेघवाल, मुकेश जोशी, ओमप्रकाश, मनीषा झुरिया, जुगलकिशोर, गोपालसिंह, पशु पालन विभाग अधिकारी डॉ हरीकेश कुमार पारीक, महेश पालीवाल, चिकित्सा विभाग से कृष्ण पाण्डर, मुकेश चौपड़ा, राहुल सांखला, ग्राम विकास अधिकारी किशनाराम सिंह छोटीखाटू ने शिविर में सहयोग किया।

रियांबड़ी। ग्राम पंचायत जाटावास में बुधवार को फार्मर रजिस्ट्री शिविर आयोजित किया गया। शिविर में तहसीलदार चिंरजीलाल पारिहार ने बताया कि शिविर में 107 किसानों की ईकेवाईसी की गई। रजिस्ट्रेशन 83, मेडिकल चेकअप 250, प्रधानमंत्री आवास योजना 5 व 4 पट्टा के आवेदन पत्र आए। इस दौरान एसडीएम सुरेश कुमार, विकास अधिकारी सुनीता पारिहार, सहायक विकास अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह, सरपंच बाबूदी देवी, ग्राम विकास अधिकारी कमल किशोर, उगमाराम सहारण, रामकिशोर आदि मौजूद रहे।

सांजू। अटल सेवा केन्द्र सांजू में किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसान अपने दस्तावेज लेकर किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने को लेकर पहुंचे। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी डेगाना ओमप्रकाश माचरा ने शिविर का निरीक्षण कर सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। शिविर में डेगाना विकास अधिकारी भंवराराम कालवी, सहायक विकास अधिकारी रामवीरसिंह डूडी, भू अभिलेख निरीक्षक सांजू प्रहलादराम कड़वा, पटवारी हनुमानराम, सुखराम, नेमाराम, कुलदीपसिंह व सरपंच श्रवणराम बावरी सहित किसान शिविर में उपस्थित रहे।

गोटन को पंचायत समिति बनाने की उठने लगी मांग

एसडीएम को जिला कलक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मेड़तासिटी

गोटन को पंचायत समिति बनाने की मांग लम्बे समय से उठ रही है। गोटन को पंचायत समिति एवं राजस्व ग्राम धनापा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर बुधवार को मेड़ता पंचायत समिति सरपंच संघ अध्यक्ष रामस्वरूप कस्वां के नेतृत्व में जिला कलक्टर के नाम एसडीएम पूनम चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के अनुसार सरपंच संघ अध्यक्ष रामस्वरूप कस्वां, गोटन सरपंच भंवरलाल जमेरिया, टालनपुर सरपंच भाकरराम कटारिया, रामस्वरूप कुशवाहा, विजय सिंह, मदन देवासी, राजूराम मुंडेल, जयराम देवासी, गोपाराम मुंडेल, बिजाराम मेघवाल सहित ग्रामीणों की ओर से दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि गोटन को पंचायत समिति घोषित करने से ग्राम पंचायत गोटन, हरसौलाव, नोखा चान्दावता, कड़वासड़ों की ढाणी, टालनपुर, टुंकलिया, पून्दलू, रिया श्यामदास, भाटियों की ढाणी, रोल चान्दावता, बासनी सेजा, गंठिया, लाम्बा जाटान, गगराना, बीटन, इन्दावड, दधवाडा, छापरी खुर्द, औलादन व असावरी के लोग लाभान्वित होंगें। ज्ञापन में अवगत कराया कि गोटन उप तहसील है, जिसमें 12 ग्राम पंचायतें आती हैं। गोटन औद्योगिक क्षेत्र है गोटन में जेके व्हाईट सीमेंट जैसी कम्पनियों के साथ ही बहुत बड़ा खनिज क्षेत्र है जिसमें चुन्ना, पत्थर, चुनाई पत्थर, चाईना क्ले निकालता है।

गोटन में चुन्ने भट्टे के लगभग 150-200 कारखाने है। गोटन में सहायक अभियंतर खनिज विभाग का कार्यालय, सहायक अभियंता विद्युत विभाग का कार्यालय, कनिष्ठ अभियंता जलदाय विभाग का कार्यालय के साथ-साथ गोटन में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधीक्षक रेंज कार्यालय भी होने के साथ ही पुलिस थाना भी है। यहां बड़ा मार्केट है जिससे आस-पास के 30-40 गांवों के लोगो का खरीददारी के लिए आना-जाना रहता है। सरपंच कस्वां सहित ग्रामीणों की ओर से दिए गए एक अन्य ज्ञापन में राजस्व ग्राम धनापा को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाने की मांग करते हुए अवगत कराया कि ग्राम धनापा ग्राम पंचायत टुंकलिया में आता है। जिसमें पंचायत पुनर्गठन के लिए राजस्व ग्राम धनापा सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत से दूरी 14 किमी होने से ग्राम सभा या पंचायत की बैठक का लाभ कोई भी ग्रामवासी नही ले पा रहे है या सरकारी योजना का लाभ नही मिलता है तथा आने जाने के लिए कोई सुविधा व साधन नही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे

आवेदन सूचना

संख्या-सी-436/एटीवीएम/मददगार/जेपी/2025 दिनांक 04.02.2025. वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से जयपुर मण्डल के निम्नलिखित स्टेशनों पर एटीवीएम मशीन द्वारा कमीशन आधार पर अनारक्षित रेल टिकट जारी करने हेतु 01 वर्ष की अवधि के लिये एटीवीएम मददगार अधिकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **कार्य का नाम एवं लोकेशन :** जयपुर मंडल के निम्न वर्णित स्टेशनों पर एटीवीएम मददगार का अनुबन्ध : किशनगढ, नरैना, फुलेरा, कनकपुरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, गेटोर जगतपुरा, खातीपुरा, दौसा, बांदीकुई, राजगढ, खैरथल, रेवाडी, दुर्गापुरा, सांगानेर, बनस्थली निवाई, रींगस, श्री माधोपुर, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ, सीकर, फतेहपुर शेखावाटी, हरर का बालाजी, चौमू सामोद, नारनौल, चौथ का बरवाडा, लक्ष्मणगढ सीकर। **कार्यालय का पता जहाँ से फार्म प्राप्त किया जा सकता है:** कार्यालय वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, वाणिज्य शाखा, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर। **कार्यकाल :** एक (01) वर्ष की अवधि के लिये। **निविदा फार्म बेचने की अन्तिम तिथि :** दिनांक 06.03.2025 को 18.00 बजे तक। **निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय :** दिनांक 07.03.2025 को 12.00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि व समय:** दिनांक 07.03.2025 को 12.00 बजे बाद। **वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट्ट की स्थिति जहाँ निविदा की सम्पूर्ण जानकारी देखी जा सकती है:** Website: http//www.nwr.indianrailway.gov.in सूचना पट्ट:- कार्यालय वरि, मंडल वाणिज्य प्रबन्धक वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर।

152-AR/24

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

DNJ-343929

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल LiFE

प्रथम मंजिल, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर- 341001 (राज.) ई-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: रापनिम/क्षे.का.-नागौर/पी.यू.बी.-191/7234 दिनांक 03/02/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना (M.L. No.-35/2014,248/2007,13/2020,59/2019, Ref No. 202310000100580, कुल प्रस्तावित क्लस्टर क्षेत्र 6.019 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 8,24,156 TPA(ROM), आवेदक मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स Ref. No. 202310000100580, Khasra No. 821/49 & 656/45, प्रस्तावित खनन क्षेत्र 1.0561 हेक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 3,08,916 TPA (Saleable Masonry Stone- 2,15,654.4 TPA, Murrum- 62,370 TPA & Waste- 30,891.6 TPA)" निकट गांव- तंवरा, तहसील- लाडनूं, जिला-डीडवाना-कुचामन से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चेजा पत्थर एवं मुर्रम (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स तिरूपति स्टोन सप्लायर्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है - (1) जिला कलक्टर, डीडवाना-कुचामन (2) CEO जिला परिषद डीडवाना-कुचामन (3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र झालना डूंगरी, जयपुर, (4) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, (5) क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर, (6.) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.), डीडवाना-कुचामन, (7.) उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं (8.) तहसीलदार लाडनूं (9.) क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर, (10.) जिला उद्योग केन्द्र, नागौर, (11.) ग्राम पंचायत तंवरा, (12.) अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत-तंवरा, तहसील लाडनूं, जिला डीडवाना-कुचामन, (13.) बी.डी.ओ. लाडनूं।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन के पत्र क्रमांक एफ 06 () न्याय/प्रदूषण/25/299 दिनांक 31.01.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 19.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान- सभागार अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत- तंवरा, तहसील लाडनूं, जिला-डीडवाना-कुचामन में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है।

भवदीय (सचिन कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, नागौर

DNJ-200 343981

मकराना। परेशानी का सबब बना शहर के एक मार्ग पर फैला कीचड़। -रहीम भाटी

मकराना में सफाई व्यवस्था बेपटरी

जगह-जगह लगे गंदगी के ढेर, सड़क पर बह रहा सीवरेज का गंदा पानी

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मकराना

मकराना नगर परिषद क्षेत्र के अनेक वार्डों में सफाई का कार्य समय पर नहीं होने से आमजन को काफी दुश्वारियां हो रही है जबकि सफाई व्यवस्था पर हर महीने लाखों रुपए खर्च किये जा रहे है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से स्थाई कर्मचारियों के अलावा सफाई कार्य को भी ठेके पर दे रखा है। जबकि हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो शहर के अधिकांश मार्ग पर कचरे एवं कीचड़ से अटे पड़े है। साथ ही क्षेत्र में सीवरेज लाइनों की सफाई का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। सीवरेज लाइनों के जाम होने के कारण रास्तों पर गंदा पानी बहता रहता है। माताभर क्षेत्र में गंदगी का आलम बना हुआ है। यहां नियमित सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार इकबालपुरा, कब्रिस्तान क्षेत्र में भी सफाई का कार्य नियमित नहीं किये जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कते हो रही है। इसी प्रकार शहर के दौला कुआ क्षेत्र में भी सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का माहौला बना हुआ है। यहां सीवरेज लाने आये दिन ऑवर फ्लो हो रही है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है।

इसी प्रकार वार्ड 37 में भी सफाई का कार्य नियमित रूप से नहीं होने से आमजन को परेशानी हो रही है। पूर्व पार्षद एडवोकेट मोहम्मद आरीफ भाटी ने बताया कि परिषद प्रशासन के उदासीन रवैय के कारण अनेक वार्डो में कचरे के ढेर लगे ही रहते है, जो कई बीमारियों का कारण बन रहे है। एक तरफ जहां कचरे के ढेरों से लोगों को परेशानी होती है तो दूसरी ओर कचरे के ढेरो पर लावारिस जानवरों के मुंह मारने से यातायात बाधित भी होने लगा है। समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद प्रशासन से गुहार लगाई मगर समस्या जस की तस बनी हुई है जिससे यहां के नागरिको में काफी रोष व्याप्त है।

परामर्श शिविर में 95 मरीज लाभान्वित

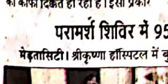

मेड़तासिटी। श्रीकृष्णा हॉस्पिटल में बुधवार को जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग को लेकर निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविचर में पंजीकृत 95 मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच कर परामर्श दिया। शिविर में गोयल हॉस्पिटल जोधपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अमित शर्मा अपनी टीम के साथ सेवाएं देते हुए घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग संबंधित जांच कर परामर्श दिया। श्रीकृष्णा हॉस्पिटल डॉ. कौशल यादव ने बताया कि हॉस्पिटल में ह्दय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस, लकवा सहित सभी बीमारियों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध है।

लुई ब्रेल जयंती पर कार्यशाला आयोजित

मकराना। ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुई-ब्रेल जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को जन जागृति मंच की ओर से माताभर क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें दृष्टिहीनों को सरकार की राहत योजनाओं की जानकारी दी गई। संस्था के उपाध्यक्ष सगीर अहमद बैहलीम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बुलंद हौसलों से कठिन काम को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गैसावत ने बताया कि सरकार नेत्रहीन बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिये अलग से भुगतान करती है। इसी प्रकार कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को रेडियो कम सी डी प्लेयर वितरण की भी योजना है।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड Aavas SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सुची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अत: आपको यह सुचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
मुकेश भारद्वाज, कल्पना देवी जमानतदार : विजय शंकर गुर्जर खाता सं. LNSPB00619-200143146	4 फरवरी 2025 ₹ 1523528/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 5958 ग्राम व जीपी बिलिया पीएस व तहसील-शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान (भारत)-311404 क्षेत्रफल 5520.80 वर्ग फीट
नीलू सिपारिया, देवेन्द्र सीप्रिया जमानतदार : राकेश जैन खाता सं. LNRJP01420-210149357	4 फरवरी 2025 ₹ 1863524/- 3 फरवरी 2025	फ्लेट नं. 815, आठवी मंजिल, वर्धमान्स होरिजन, केएच नं. 43/2 पर बनाया गया, गांव-झोटवाड़ा, 200 फीट बाईपास, नांगल क्रॉसिंग झोटवाड़ा, जयपुर राजस्थान (भारत)-302012 क्षेत्रफल 776.51 वर्ग फीट बालकनी कारपेट एरिया के साथ 89.56 वर्ग फीट
स्व. श्री राजेन्द्र जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी कमला देवी, कुलदीप, खुशी, कमला देवी जमानतदार : सुखराज जाट खाता सं. LNDUD06920-210163500	4 फरवरी 2025 ₹ 383604/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 41, बुक नं. 126, गांव-तिलोनिया, तहसील-किशनगढ, जिला-अजमेर, राजस्थान (भारत)-303603 क्षेत्रफल 144.83 वर्ग गज
राम रतन पारीक, नोरति नोरति, सम्पत राज खाता सं. LNMER00619-200110477	4 फरवरी 2025 ₹ 403935/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 89, बुक नं. 17, गांव बगड़ ग्राम पंचायत बगड़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर, राजस्थान (भारत)-341001 क्षेत्रफल 194.44 वर्ग गज
तारनेश यादव, दीपचन्द यादव, उर्मिला देवी जमानतदार : करन सिंह यादव खाता सं. LNDAU05520-210166405	4 फरवरी 2025 ₹ 738528/- 3 फरवरी 2025	गांव-बसवा में स्थित, ग्राम पंचायत बसवा पंचायत समिति बांदीकुई, तहसील-बसवा, जिला-दौसा, राजस्थान पिन-303327 क्षेत्रफल 690.00 वर्ग गज
भोलू राम, धनपत कुमार, रवि कुमार जमानतदार : मनभरी डबरिया खाता सं. LNMJP02916-170040001	4 फरवरी 2025 ₹ 805397/- 3 फरवरी 2025	गांधी बस्ती मोहल्ला, गांव-सिरसी, जयपुर, राजस्थान-302012 क्षेत्रफल 345 वर्ग गज
छोटू राम, गमाला देवी, सम्पत देवी, राम लाल जमानतदार : राम लाल खाता सं. LNAJM00516-170044315	4 फरवरी 2025 ₹ 350838/- 3 फरवरी 2025	गांव-चीताखेड़ा, तहसील-किशनगढ अजमेर ग्राम पंचायत खतौली, जिला-अजमेर, राजस्थान 305811 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज
माधु लाल जाट, घीसी देवी जाट जमानतदार : जमना लाल खाता सं. LNBHI02917-180052376 जमानतदार : भंवर लाल जाट खाता सं. LNBHI00618-190076154	4 फरवरी 2025 ₹ 340087/- व ₹ 543099/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 19, ग्राम पंचायत-पिपली, तहसील-सुवाना, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान (भारत)-311025 क्षेत्रफल 1056 वर्ग फीट
स्व. श्री कैलाश चन्द सैनी जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी छगनी देवी, चन्द्र प्रकाश सैनी, छगनी देवी, चन्द्र प्रकाश सैनी खाता सं. LNJPT02918-190083840 व LNMJP09620-210160971	4 फरवरी 2025 ₹ 1664273/- व ₹ 779225/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 86, स्कीम आनन्द निकेतन, बिंदायका बस स्टेण्ड, जयपुर राजस्थान (भारत)-302012 क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज
भगवाना राम, पर्मा देवी, मदन लाल खाता सं. LNNKO02918-190083625	4 फरवरी 2025 ₹ 518786/- 3 फरवरी 2025	आवासीय सम्पत्ति स्थित वार्ड नं. 29, मोहनपुरा बास, नोखा तहसील नोखा जिला-बीकानेर, राजस्थान (भारत)-334803 क्षेत्रफल 1743 वर्ग फीट
शुभ करण, चन्द्रमणी देवी खाता सं. LNCHW02918-190084683 व LNCHW04319-200120265 व LNCHW09821-220193798	4 फरवरी 2025 ₹ 346943/- व ₹ 173176/- व ₹ 88799/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 025, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम पंचायत-बुढानिया, तहसील-चिड़ावा, जिला-झुंझुनूं, राजस्थान क्षेत्रफल 559.87 वर्ग गज
तेजुराम बुनकर, अन्नू देवी, मुकेश मुकेश जमानतदार : किशन बलाई खाता सं. LNDUD00518-190095777	4 फरवरी 2025 ₹ 697509/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 69, मिसल नं. 05, गांव-गगरू ग्राम पंचायत व तहसील-दूदू, जिला जयपुर राजस्थान (भारत)-303008 क्षेत्रफल 238.33 वर्ग गज
संदीप कुमावत, जगदीश कुमावत, गणेशी देवी खाता सं. LNRAJ02918-190094690	4 फरवरी 2025 ₹ 814054/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 85, धनारियो की गली, ग्राम संवाद तहसील व जिला-राजसमन्द राजस्थान (भारत)-313324 क्षेत्रफल 1004.5 वर्ग फीट
बापू देवी, केशाराम बैरवा, आनन्द राज बैरवा खाता सं. LNDUD17723-240299803 जमानतदार : मोहित कुमार बैरवा खाता सं. LNDUD00618-190100102	4 फरवरी 2025 ₹ 290212/- व ₹ 289107/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 104, स्कीम- श्री जी विहार नरैना रोड दूदू जयपुर राजस्थान, प्रेम मैरिज गार्डन के पास, मौजमाबाद, प्रेम मैरिज गार्डन के पास, सम्पत्ति स्थित गांव-दूदू, तहसील-दूदू, जिला-जयपुर राजस्थान (भारत)-303008 क्षेत्रफल 75.16 वर्ग गज
केदार नाथ, प्रभु नाथ, पुसी देवी खाता सं. LNDUG02921-220185101 व LNDUG04322-230250484	4 फरवरी 2025 ₹ 474093/- व ₹ 175637/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 46 बुक नं. 127 ग्राम बरजांगसर, तहसील- श्री डूंगरगढ, जिला-बीकानेर, राजस्थान (भारत)-331803 क्षेत्रफल 416.77 वर्ग गज
कालू राम, पुखराज पुखराज खाता सं. LNSGA03521-220189115	4 फरवरी 2025 ₹ 938179/- 3 फरवरी 2025	वार्ड नं. 38 पुराना-29, मोहल्ला प्रजापति मंदिर के पास, गांव-सुजानगढ, एन.पी. सुजानगढ, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरू, राजस्थान (भारत)-331507 क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट
बजरंग लाल, जुमा बाई जमानतदार : दिनेश सुमन खाता सं. LNKTA03521-220206742	4 फरवरी 2025 ₹ 410049/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 3948, मिसल नं. 72, गांव व ग्राम पंचायत धुलेट में स्थित, पंचायत समिति सांगोद, जिला-कोटा, राजस्थान (भारत)-325602 क्षेत्रफल 950 वर्ग फीट
परमेश्वर गुर्जर, सुगना देवी जमानतदार : सत्य नारायण पुन गुर्जर खाता सं. LNMAL00521-220215526	4 फरवरी 2025 ₹ 425211/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 03, ग्राम पंचायत बिजलाल नगर, गांव-सदरपुरा तहसील मालपुरा, जिला-टोंक राजस्थान (भारत)-304504 क्षेत्रफल 158.33 वर्ग गज
स्व. श्री हनुमान प्रसाद जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी सुनीता, मंथन, मंथन मंथन, सुनीता सुनीता खाता सं. LNNGR00522-230229372	4 फरवरी 2025 ₹ 669344/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 449, बाड़ी कुआ, हनुमान चौक, नागौर, राजस्थान (भारत)-341001 क्षेत्रफल 87.06 वर्ग मीटर
गजेन्द्र सिंह तंवर, अनिता कंवर जमानतदार : सुनील कुमार सैनी खाता सं. LNHNT00617-180064856	4 फरवरी 2025 ₹ 169123/- 3 फरवरी 2025	आवासीय प्लॉट, वार्ड नं. 15 में स्थित, भूमि खसरा नं. पुराना 1083, प्लॉट नं. 05, रेवेन्यू गांव नीम का थाना, तहसील-नीम का थाना, जिला-सीकार राजस्थान (भारत)-332713 क्षेत्रफल 208.88 वर्ग गज
सत्य नारायण सैनी, पुष्पा देवी, विनोद सैनी खाता सं. LNMJP15622-230263563 व LNDKB07521-220184430	4 फरवरी 2025 ₹ 412633/- व ₹ 875164/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 39, रमन विहार विस्तार स्कीम में स्थित, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान (भारत)-302032 क्षेत्रफल 122.22 वर्ग गज
स्व. श्री पोपटलाल खटीक जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी सुरज देवी खटीक, बंसीलाल खटीक, बंसीलाल खटीक, सूरजदेवी खटीक खाता सं. LNBAN03522-230256163	4 फरवरी 2025 ₹ 412206/- 3 फरवरी 2025	आवासीय प्लॉट नं. 6, सगवाड़ा में स्थित मोहल्ला अहीरवाड़ा, लालजीभाई की वाड़ी, जिला-डूंगरपुर राजस्थान (भारत)-314025 क्षेत्रफल 620 वर्ग फीट
कमला देवी, विनोद चौधरी, राहुल चौधरी खाता सं. LNRJP07521-220213029 व LNRJP07421-220213311	4 फरवरी 2025 ₹ 3136436/- व ₹ 3993135/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 10, सूरज नगर- II स्कीम, सांगानेर में स्थित, जिला-जयपुर, राजस्थान (भारत)-302029 क्षेत्रफल 348.75 वर्ग गज
संतोष संतोष, लालचन्द लालचन्द खाता सं. LNRAM13721-220209431 व LNRAM14922-230276258	4 फरवरी 2025 ₹ 257517/- व ₹ 130475/- 3 फरवरी 2025	मकान/प्लॉट नं. 68, ट्रांसपोर्ट नगर योजना झालरापाटन, जिला-झालावाड़, राजस्थान (भारत)-326023 क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट
राम चन्द, धापू बाई जमानतदार : संतोष कुमार खाता सं. LNKTA02916-170039626	4 फरवरी 2025 ₹ 877243/- 3 फरवरी 2025	मकान सर्वे नं. रे 073/913 बापू नगर कोटा, जिला-कोटा, राजस्थान (भारत)-324008 क्षेत्रफल 78.54 वर्ग गज
सरोज सरोज, योगेश कुमार, अशोक अशोक, कमलकान्त सोनी जमानतदार : चन्द्र पालपाल खाता सं. LNKTR13522-230227565	4 फरवरी 2025 ₹ 288745/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 34, बुक नं. 214, ग्राम दलता, ग्राम पंचायत ठठावाड़ी, पंचायत समिति खेतड़ी, जिला-झुंझुनूं, राजस्थान (भारत)-333036 क्षेत्रफल 177.52 वर्ग गज
देवा राम, सुनील सुनील, आछू देवी जमानतदार : भूरा राम खाता सं. LNMRT00522-230237436	4 फरवरी 2025 ₹ 345958/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 03, बुक नं. 46, गांव-कुटाटी, तहसील-डेगाना, जिला-नागौर, राजस्थान (भारत)-341514 क्षेत्रफल 598 वर्ग फीट
श्यामा सोनी, रामकिशन के सोनी खाता सं. LNRJP03322-230234985	4 फरवरी 2025 ₹ 388943/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 118 व प्लॉट नं. 119, गोल्डन टाउन में स्थित, रामगढ रोड, जयपुर, राजस्थान (भारत)-302027 प्लॉट नं. 118 क्षेत्रफल 50 वर्ग गज व प्लॉट नं. 119 क्षेत्रफल 50 वर्ग गज
स्व. श्री छोटू लाल बैरवा जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रेम देवी, गोपाल लाल बैरवा, सुरेश लाल बैरवा, भवानी लाल बैरवा, सुरेश लाल बैरवा, गोपाल लाल बैरवा, भवानी लाल बैरवा, प्रेम देवी खाता सं. LNBHI04319-200113119 जमानतदार : नाथू लाल तेली खाता सं. LNBHI00617-180061660	4 फरवरी 2025 ₹ 106813/- व ₹ 287342/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 2909, गांव-गणेशपुरा, ग्राम पंचायत-मानपुरा, तहसील-मंडलगढ, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान (भारत)-311605 क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट
दिलबाग सिंह, फूलन देवी, संदीप कुमार खाता सं. LNRJH04320-210170420 जमानतदार : ओम प्रकाश खाता सं. LNTAR02918-190087886 व LNTAR11721-220181877	4 फरवरी 2025 ₹ 117171/- व ₹ 931548/- व ₹ 43998/- 3 फरवरी 2025	बुक नं. 20, पट्टा नं. 42924, डब्ल्यूएन 11, रेजरी 108, आवासीय सम्पत्ति स्थित गांव-रेजरी, ग्राम पंचायत-गलार, तहसील-राजगढ, जिला-चूरू, राजस्थान पिन-331701 क्षेत्रफल 2880 वर्ग फीट
सुरेश कुमार, राधा देवी खाता सं. LNALW02122-230231916 व LNALW09322-230232544	4 फरवरी 2025 ₹ 526303/- व ₹ 972772/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 17, केएच नं. 370, ग्राम-खुदानपुरी, तहसील व जिला-अलवर, राजस्थान, 301001 क्षेत्रफल 87.09 वर्ग मीटर
स्व. श्री बलवीर राम जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी रूपा देवी, रूपा देवी जमानतदार : ओमा राम खाता सं. LNMRT18023-240330192	4 फरवरी 2025 ₹ 227346/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 31, बुक नं. 021, गांव-खटोल, ग्राम पंचायत-अंतरोली कलां, तहसील-डेगाना, जिला-नागौर, राजस्थान (भारत)-341514 क्षेत्रफल 570 वर्ग फीट
विमला विमला, मुकेश नाथ, सिद्ध भंवरनाथ जमानतदार : कप्तान सिंह खाता सं. LNSGA02922-230245259	4 फरवरी 2025 ₹ 1016777/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 23, वार्ड नं. 06 (केएच नं. 1658), ढोलियों की बारी, बीदासर, चुरू राजस्थान (भारत)-331501 क्षेत्रफल 339.80 वर्ग मीटर
राजू नाथ, सजना देवी जमानतदार : श्रीचन्द नाथ खाता सं. LNBKN00522-230229143 व LNBKN09422-230275633	4 फरवरी 2025 ₹ 498911/- व ₹ 362993/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 28, कुम्हारों का मोहल्ला, वार्ड नं. 5, ग्राम रिड़मलसर पुरोहितान, तहसील व जिला-बीकानेर, राजस्थान (भारत)-334022 क्षेत्रफल 300.11 वर्ग गज
मुन्नीराम बिश्नोई, सुमित्रा सुमित्रा खाता सं. LNNOK00622-230258349	4 फरवरी 2025 ₹ 1011891/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 30, बुक नं. 402, गांव-जांगलू, पंचायत समिति-पांचू तहसील नोखा जिला-बीकानेर, राजस्थान (भारत)-334803 क्षेत्रफल 428.72 वर्ग गज यानि 3858.50 वर्ग फीट
स्व. श्री गजानन्द गजानन्द जरिए उनके विधिक उत्तराधिकारी, राजंती देवी, शायर जाजोरिया, राजंती देवी, शायर जाजोरिया जमानतदार : लोकेश कुमार खाता सं. LNJAR00622-230261702	4 फरवरी 2025 ₹ 600373/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 67, बजरंग वाटिका-डी स्कीम में स्थित, नाड़िया, सिरसी, जयपुर, राजस्थान 302012 क्षेत्रफल 62.22 वर्ग गज
नरेश कुमार, कमली कमली खाता सं. LNKTR00621-220205383	4 फरवरी 2025 ₹ 725915/- 3 फरवरी 2025	केएच नं. 545, 546, 567, 575, 611, 612, 632, कुल किता 7 कुल 1.30 क्षेत्रफल हेक्टेयर. हिस्सा 1/80 गिफ्ट भाग शेयर 162 वर्ग मीटर, झुंझुनू में स्थित तहसील बुहाना ग्राम पंचायत पचाना, ग्राम पचाना राजस्थान पचेरी बड़ी एस.ओ. राजस्थान राजस्थान (भारत)-333515 क्षेत्रफल 193.77 वर्ग गज
सरोज देवी, राजेन्द्र कुमार खाता सं. LNNEM16622-230243928	4 फरवरी 2025 ₹ 222685/- 3 फरवरी 2025	ग्राम पंचायत-अजरका पट्टा नं. 3, बुक नं. 57, संकल्प नं. 7 ग्राम नांगल सिया, ग्राम पंचायत-अजरका एस.ओ. मुण्डावर, अलवर, राजस्थान (भारत)-301401 क्षेत्रफल 132.22 वर्ग गज
सत्यनारायण शर्माजी, नवनीत नवनीत, धन्नी बाई, अनिता बाईजी खाता सं. LNRAM13521-220196676	4 फरवरी 2025 ₹ 405161/- 3 फरवरी 2025	खसरा नं. 215, पट्टा नं. 7952 गांव-झोनखेड़ा, ग्राम पंचायत-कुन्द खान बी.ओ. सोनखेड़ा, जिला-कोटा, राजस्थान (भारत)-326520 क्षेत्रफल 1012 वर्ग फीट
गुड्डी देवी, जीवराज जीवराज, दीना राम खाता सं. LNBKN16322-230274501	4 फरवरी 2025 ₹ 448064/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 32, ग्राम झझू, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर, राजस्थान पिन-334302 क्षेत्रफल 2700 वर्ग फीट
शंकर लाल भट्ट, गंगा देवी, दीपक श्री जमानतदार : रतन लाल गाडरी खाता सं. LNBHI00619-200119799	4 फरवरी 2025 ₹ 534647/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 35, गांव-रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत-अदाना पंचायत समिति-रश्मि, चित्तौड़गढ अदाना बी.ओ चित्तौड़गढ राजस्थान (भारत)-312203 क्षेत्रफल 1269 वर्ग फीट
अनिता जैन, रोहित कुमार जैन, रजत जैन, राजेन्द्र कुमार जैन, राहुल कुमार जैन खाता सं. LNJKR03719-200126978 व LNJKR09621-220196699	4 फरवरी 2025 ₹ 1440439/- व ₹ 673665/- 3 फरवरी 2025	प्लॉट नं. 6, मधुबन विहार (मधुबन विहार विस्तार कॉलोनी), करतारपुरा, महावीर कॉलोनी के पास, जयपुर, राजस्थान पिन-302006 क्षेत्रफल 88.33 वर्ग गज
कान सिंह चौधरी, धनराजी देवी जमानतदार : कालू राम जाट खाता सं. LNTNK02918-190099119	4 फरवरी 2025 ₹ 366426/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 23958, गांव लतीफगंज ग्राम पंचायत चंदलाई पंचायत समिति टोंक तहसील व जिला-टोंक राजस्थान क्षेत्रफल 142 वर्ग गज
घीसा लाल तेली, नन्द लाल तेली, सीता देवी, दिनेश कुमार तेली, पप्पू पी लाल खाता सं. LNSPB02921-220186677	4 फरवरी 2025 ₹ 384593/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 27, बुक नं. 361, गांव-बेरी ग्राम पंचायत बावड़ी तहसील-जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान 311404 क्षेत्रफल 1365 वर्ग फीट
सरिता हरिजन, त्रातिक हरिजन जमानतदार : दिलीप कुमार हरिजन खाता सं. LNPGR03321-220187079	4 फरवरी 2025 ₹ 573391/- 3 फरवरी 2025	पट्टा नं. 88, अहीर मोहल्ला सिटी प्रतापगढ तहसील व जिला-प्रतापगढ 312605 क्षेत्रफल 938 वर्ग फीट

स्थान : जयपुर दिनांक 06.02.2025 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

DNJ-343940

Scanned with OKEN Scanner